(183)

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल, ग्वालियर कैम्प, उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक– /2013 निगरानी R-1357-I/13

रायसिंह पिता सिद्धाजी, आयु 50 वर्ष धंधा–मजदूरी, जाति बलाई, निवासी– ग्राम सिंदनी तहसील व जिला देवास (म.प्र.) .... निगरानीकर्ता/आवेदक

विरुद्ध

रामचंद्र पिता बलवंत, धंधा–कृषि, निवासी–ग्राम सिंदनी तहसील व जिला देवास (म.प्र.) .... /अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता आदेश राजस्व आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन के द्वारा पारित अपील क्रमांक–263/11–12 अपील दिनांक 26/02/2013 से असंतुष्ट व दुखित होकर

माननीय महोदय,

आवेदक का निगरानी आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, आवेदक का एक मकान ग्राम सिंदनी जो कि लगभग विगत 30 वर्षों से बना हुआ है, को हटाने व तोड़ने के प्रयास किए गए। रहवासी मकान तथा पशु कोठे व मवेशी बांधते हुए आवेदक के पिता की मृत्यु हो गई। वह मकान जिसमें आवेदक का परिवार निवास करता है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई मकान आवेदक के पास नहीं है, को 14/10/2011 के आदेश द्वारा नायब तहसीलदार देवास द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त क्रमांक–1 को अपने पिता के समय के 30 वर्ष से भी अधिक पुराने मकान को तोड़े जाने संबंधी आदेश दिया गया, जिस पर से राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 19/10/2011 को उक्त मकान को हटाने के संबंध में सूचना पत्र दिया गया।

यह कि, आवेदक अपने पिता के समय से ही उक्त मकान में निवासरत

निरंतर....2

(183)

(127)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी/1357/एक/2013 |

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 27/01/2015 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है। अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	